अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखने में हुये विलम्ब का कारण

राज्य कर अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं को समय से सदन के पटल पर रखे जाने में हुये विलम्ब का कारण **"मुद्रित प्रतियॉ राजकीय मुद्रणालय से ससमय प्राप्त न होना एवं विधान मण्डल का द्वितीय सत्र-2020 का अत्यधिक लघु होना है, जो कि प्रक्रियात्मक विलम्ब है।"**

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री

m.note

क्रम-संख्या–115(छ–4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 29 जुलाई, 2020
श्रावण 7, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 794 / ग्यारह-2–20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(133)-2020
लखनऊ, 29 जुलाई, 2020

अधिसूचना

प0आ0–515

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 के साथ पठित धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या क0नि0-2-177/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(03)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में,–

(i) तीसरे परंतुक में तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका रख दी जाएगी, अर्थात्:-

"तालिका

क्र0सं0	**रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग**	**कर अवधि**	**शर्त**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी 24 जून, 2020 को या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक है, जिनका मूल कारोबार का स्थान उत्तर प्रदेश है	फरवरी, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 30 जून, 2020 को या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

(1)	(2)	(3)	(4)
		मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 5 जुलाई, 2020 को या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 9 जुलाई, 2020 को या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मई, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 15 सितंबर, 2020 को या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		जून, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 25 सितंबर, 2020 को या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		जुलाई, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में विवरणी 29 सितंबर, 2020 को या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है ।

(ii) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन किसी कर अवधि में संदेय विलम्ब शुल्क को रुपये दो सौ पचास से अधिक अधित्यजन करती हैं जिन्होंने नियत तारीख तक माह जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं :

परंतु यह भी कि यदि उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की राशि शून्य है तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यजन किया जाता है जिन्होंने नियत तारीख तक माह जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं।"

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 794/XI-2–20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(133)-2020, dated July 29 , 2020:

No. 794/XI-2–20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(133)-2020

Dated Lucknow, July 29, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), *read* with section 148 of the said Act, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification no. KA.NI.-2-177/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(03)-2019, dated January 22, 2019, namely:–

In the said notification,-

(i) in the third proviso, *for* the Table, the following Table shall be *substituted*, namely: –

"TABLE

Sl. no.	Class of registered persons	Tax period	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	February, 2020, March, 2020 and April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 24th day of June, 2020

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the State of Uttar Pradesh	February, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30th day of June, 2020
		March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 5th day of July, 2020
		April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 9th day of July, 2020
		May, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 15th day of September, 2020
		June, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 25th day of September, 2020
		July, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 29th day of September, 2020"

(ii) *after* the third proviso, the following provisos shall be *inserted*, namely: –

"Provided also that the total amount of late fee payable for a tax period, under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of an amount of two hundred and fifty rupees for the registered person who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months of July, 2017 to January, 2020, by the due date but furnishes the said return between the period from 1st day of July, 2020 to 30th day of September, 2020:

Provided also that where the total amount of state tax payable in the said return is nil, the total amount of late fee payable for a tax period, under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered person who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months of July, 2017 to January, 2020, by the due date but furnishes the said return between the period from 1st day of July, 2020 to 30th day of September, 2020."

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 609 राजपत्र–2021–(1219)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 66 सा० राज्य कर–2021–(1220)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
609 Rph rajya kar anu-2-2021 data-8 (GST folder-2020)